13. सेकेण्डरी/सीनियर सकेण्डरी स्कूल द्वारा बीएड. **प्रायोगिक कार्य हेतु शिक्षण व्यवस्था अनुमति** दिये जाने हेतु **मूल प्रमाणपत्र** (प्रवेश निर्देशिका में दिए गए प्रारूप के अनुसार)।
14. महिला अभ्यर्थियों का विवाह के कारण यदि उपनाम **(SURNAME)** परिवर्तित हो गया हो तो उसे प्रयुक्त करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों अनिवार्यतः जमा करना होगाः–

(i) विवाह प्रमाण पत्र(रजिस्ट्रार (विवाह) के द्वारा जारी किया गया) भी सत्यापित छायाप्रति।
(ii) नोटरी द्वारा प्रमाणित किया गया शपथ–पत्र एवं राजपत्र का छाया प्रति जिसमें आपका नाम उल्लेखित हो।
(iii) दैनिक समाचार पत्र में अधिसूचना की मूलप्रति नाम/उपनाम, परिवर्तित होने संबंधित।
(iv) प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट (नाम परिवर्तन हेतु) से जारी किया गया उपयुक्त मूल्य के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र।
(v) नाम/उपनाम परिवर्तन को दर्शाती हुयी गजट अधिसूचना।

नोटः– यदि बिन्दु कमांक 14 के अनुसार दस्तावेज नहीं हो तो 10वीं के प्रमाण पत्र में अंकित नाम ही मान्य होगा।

15. यदि हाई स्कूल तथा अन्य अंक पत्रों एवं प्रमाण **पत्रों में नाम/नामाक्षर में भिन्नता हो** तो इस आशय का **मूल शपथ पत्र नोटरी** द्वारा बनवाकर प्रस्तुत करें।

ज्ञातव्य है कि अतिथि/अंशकालिक/अवैतनिक शिक्षक वि.वि. के नियमानुसार प्रवेश के पात्र नहीं होंगे तथा अभ्यर्थी का शिक्षण अनुभव मान्यता प्राप्त/सरकारी स्कूल में वर्तमान में कार्यरत होना चाहिये। काउंसलिंग अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंको की मेरिट के अनुसार घटते क्रम में होगी। यदि कोई अधिक अंक प्राप्त करने वाला **अभ्यर्थी काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होता है या अनिवार्य दस्तावेजों एवं निर्धारित शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट काउंसलिंग के दिन प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह स्थान मेरिट में उपस्थित दूसरे अभ्यर्थी को दे दिया जाएगा।** अतः निश्चित समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर निर्धारित प्रमाणपत्र, शुल्क जमा करें अन्यथा आपका अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जाएगा।

यह बुलावा पत्र औपबंधिक है तथा आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए योग्यता एवं अनुभव प्रमाणपत्रों पर आधारित है। **अशासकीय शिक्षण** संस्था से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए :– संस्था संचालन की मान्यता के लिए संस्था द्वारा प्रतिवर्ष नवीनीकरण के समय संस्थाओं में कार्यरत प्राचार्य/शिक्षक/कर्मचारियों की शाला में नियुक्ति होने से संबंधित जानकारी संस्था द्वारा नस्ती के साथ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिया जाना अनिवार्य है। विद्यालय के शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर में शाला के समस्त पदस्थ प्राचार्य/शिक्षक/कर्मचारियों का नाम शिक्षक उपस्थिति पंजी में होना आवश्यक है। यदि भविष्य में जांच कराये जाने पर योग्यता एवं अनुभव प्रमाणपत्र असत्य पाए गए तो आपका प्रवेश तत्काल प्रभाव से निरस्त हो जाएगा तथा वैधानिक कार्यवाही की जाएगी व विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा।

शुभकामनाएं सहित,

भवदीय

डॉ.डी.बी नेगी
वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक,
क्षेत्रीय केन्द्र, चण्डीगढ़